भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 159

जिसका उत्तर सोमवार, 25 नवंबर, 2024/4 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया गया

प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) का विस्तार

159. श्री राजू विष्ट:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) की ऋण सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने से सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए पूंजी तक पहुंच बढ़ गई है;

(ख) वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान शिशु, किशोर, तरुण और नई शुरू की गई तरुण प्लस श्रेणियों के तहत संवितरण के विवरण सहित लाभार्थियों की संख्या कितनी है;

(ग) पीएमएमवाई के तहत महिलाओं और अल्पसंख्यक उद्यमियों तक प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(घ) सूक्ष्म इकाइयों के लिए साख गारंटी निधि (सीजीएफएमयू) ने किस तरह से ऋण सुरक्षा बढ़ाने में योगदान दिया है; और

(ङ) पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग संसदीय क्षेत्र के ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में पीएमएमवाई निधि तक सुचारु पहुंच सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यान्वयन रणनीति तैयार की गई है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की ऋण सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया जाना बदलते बाजार के रुझानों के अनुरूप है जिसने सूक्ष्म और लघु उद्यमियों को अपने कारोबार के लिए आवश्यक और अधिक संपार्श्विक मुक्त पूंजी प्राप्त करने में सक्षम बनाया है। यह उन उद्यमियों के लिए और जिन्होंने 'तरुण' श्रेणी के अंतर्गत पूर्ववर्त्ती ऋण का सफलतापूर्वक पुनर्भुगतान किया है।

(ख): वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान शिशु, किशोर, तरुण श्रेणियों के अंतर्गत संवितरण के ब्यौरे के साथ-साथ लाभार्थियों (ऋण खातों) की संख्या निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष	2023-24		2024-25 (01.11.2024 तक)	
श्रेणी	ऋण खातों की संख्या	संवितरित राशि	ऋण खातों की संख्या	संवितरित राशि
शिशु	4.16 करोड़	1.47 लाख करोड़	1.39 करोड़	50, 969 करोड़
किशोर	2.36 करोड़	2.57 लाख करोड़	0.99 करोड़	1.13 लाख करोड़
तरुण	0.15 करोड़	1.27 लाख करोड़	0.08 करोड़	67, 881 करोड़
कुल	6.67 करोड़	5.32 लाख करोड़	2.49 करोड़	2.32 लाख करोड़

नई तरुण प्लस श्रेणी के दिशानिर्देशों को दिनांक 24.10.2024 को सदस्य उधार दात्री संस्थाओं को परिचालित किया गया है। इसके अतिरिक्त तरुण प्लस श्रेणी को लोकप्रिय बनाने के लिए बैंक अपने व्यापक नेटवर्क के माध्यम से सक्रिय रूप से संभावित और पात्र उधारकर्ताओं तक पहुँच रही है, अर्थात् जिन्होंने तरुण श्रेणी के अंतर्गत लिए गए ऋण का सफलतापूर्वक पुनर्भुगतान किया है।

(ग): आरबीआई की प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) दिशानिर्देशों के अंतर्गत महिलाओं और अल्पसंख्यक लाभार्थियों को संवितरित किए गए ऋण को "कमजोर वर्ग" घटक के अग्रिम के भाग के रूप में माना जाता है।

बैंक, अपने ग्रामीण स्व रोजगार प्रशिक्षण संस्थाओं (आरएसईटीआई) के माध्यम से कौशल विकास और शाखाओं द्वारा प्रशिक्षित व्यक्तियों की ऋण संबद्धता के लिए स्थानिक और आवासीय स्व-रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। बैंक महिलाओं और अल्पसंख्यकों सहित समाज के सभी वर्गों के बीच विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए क्रेडिट आउटरीच शिविरों इत्यादि का भी आयोजन करते हैं। क्षेत्रीय पदाधिकारी अपने सेवा क्षेत्र में महिलाओं और अल्पसंख्यक उद्यमियों द्वारा चलाई जा रही इकाईयों की पहचान करें और उनकी वित्तीय जरूरतों का मूल्यांकन करते हुए उन्हें पीएमएमवाई के अंतर्गत नवीन ऋण प्रदान करें।

(घ): सूक्ष्म इकाईयों के लिए ऋण गारंटी निधि (सीजीएफएमयू) की शुरुआत ने सदस्य उधारदात्री संस्थाओं (एमएलआई) को पीएमएमवाई योजना के अंतर्गत (20 लाख रुपये तक की) संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए सहायता/ आश्वासन प्रदान किया है। सीजीएफएमयू की शुरुआत के पश्चात् उधारदाताओं ने 31 अक्टूबर, 2024 तक पीएमएमवाई के अंतर्गत प्रदान किए गए ऋण के संबंध में 3.86 लाख करोड़ रुपये की सीमा तक गारंटी कवर का लाभ उठाया है। इस योजना ने संपार्श्विक की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है और सूक्ष्म उधारकर्ताओं को अपने कारोबार के लिए ऋण प्राप्त करने में सहायता प्रदान की है। संपार्श्विक मुक्त ऋण की विशेषताओं, जिसमें गारंटी कवर से जोखिम कम हो जाते हैं, ने एमएलआई के लिए सुरक्षा बढ़ाई है।

(ङ): सरकार ने इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में कई कदम उठाए हैं। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रचार-प्रसार अभियान, आवेदन प्रपत्र का सरलीकरण, ऋण गारंटी योजना, मुद्रा नोडल अधिकारी का नामांकन, आवंटित लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि की निगरानी के लिए सरकार और बैंक द्वारा विभिन्न स्तरों पर निरंतर समीक्षा आदि शामिल हैं। दिनांक 01.11.2024 की स्थिति के अनुसार पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिला में 8,518 करोड़ रुपये की राशि के कुल 13.15 लाख ऋण स्वीकृत किए गए हैं।

******